छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 1702 / पंग्राविवि / 22 / 2012 रायपुर, दिनांक 21 / 02 / 2012

प्रति,

कलेक्टर
सह अध्यक्ष, WCDC
जिला–समस्त,
छत्तीसगढ़।

विषयः– एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजना अंतर्गत जलग्रहण विकास दल (WDT) के सदस्यों की संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश।

SLNA की चतुर्थ बैठक दिनांक 20.10.2011 के एजेण्डा क्रमांक–6(ख) पर लिए गये निर्णय तथा वित्त विभाग, छ.ग. शासन के यु.ओ. क्रमांक 75 / सी.एन. / 00002478 / बजट–2 / वित्त / चार / 2012, दिनांक 13.02.2012 में प्रदत्त अनुमोदन अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 के परिपालन में, एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक स्वीकृत कुल 181 IWMP परियोजनाओं हेतु कुल 724 WDT सदस्यों के संविदा पद स्वीकृत किये गये हैं।

अतएव तद्नुरूप जिले के प्रत्येक परियोजना में, परियोजना अवधि के लिए एक मुश्त मासिक संविदा वेतन पर, अधिकतम 04 सदस्यीय जलग्रहण विकास दल (WDT) के गठन हेतु निम्नानुसार संविदा नियुक्ति की स्वीकृति दी जाती हैः–

क्र.	मिली वाटरशेड हेतु स्वीकृत पद	संख्या	मासिक संविदा वेतन
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	01	13700 / –
2	WDT सदस्य (आजीविका)	01	11820 / –
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	01	11820 / –
4	लेखापाल सह डाटा ऐण्ट्री आपरेटर	01	8080 / –

उपरोक्त पदों में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, मापदण्ड, चयन प्रक्रिया एवं उत्तरदायित्व "परिशिष्ट–1" में संलग्न है।

2. जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के वेतन एवं अन्य व्यय परियोजना के प्रशासकीय मद से किया जाएगा। प्रशासकीय मद में राशि की उपलब्धता व परियोजना कार्य के आवश्यकता अनुरूप ही उपरोक्त स्वीकृत पदों की पूर्ति की जाये। परियोजना प्रबंधक, WCDC तथा PIA द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना स्तर पर होने वाले व्यय परियोजना में प्रावधानित प्रशासकीय व्यय की सीमा से अधिक न हो।
3. परियोजनाओं में WDT पद हेतु जारी मानदेय संबंधी विभागीय आदेश क्रमांक 495 / SLNA / 10, दिनांक 09.02.2010 के तहत पूर्व से नियत मानदेय पर कार्यरत् WDT सदस्यों को उपरोक्त एकमुश्त मासिक संविदा वेतन की पात्रता नहीं होगी।
4. WDT के उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति उपरांत परियोजना में पूर्व से नियत मानदेय पर कार्यरत् WDT सदस्य की नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।

(प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जे.एन. अवस्थी)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 1703 /पंग्राविवि/22/2012 रायपुर, दिनांक 21/02/2012

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव वित्त विभाग,छ.ग. शासन डी. के. एस. भवन मंत्रालय, रायपुर।
3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर।
4. संभाग आयुक्त, राजस्व संभाग, बिलासपुर/रायपुर/बस्तर/सरगुजा, छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–......................छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(परिशिष्ट–1)

जलग्रहण विकास दल (WDT) के नवीन स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश।

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण–

क्र.	स्वीकृत पद	न्यूनतम अर्हता	चयन हेतु मेरिट अंक	
1	2	3	4	5
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) / बी.ई. सिविल के साथ–साथ मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
2	WDT सदस्य (आजीविका)	बी.एस.सी.(कृषि / वानिकी / उद्यानिकी / मत्स्य) / BV&AHSc के साथ–साथ मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	ग्रामीण प्रबंधन / विकास में MBA / सामाजिक कार्य (MSW) में स्नातकोत्तर के साथ–साथ मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
4	लेखापाल सह डाटा ऐण्ट्री आपरेटर	मान्य संस्थाओं से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–9–4 /2005/1/3, दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण को ही मान्य किया जावेगा। किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा। किसी भी चार्टड एकाउंटेंट (C.A.) से एक वर्ष का आर्टिकलसीप का अनुभव प्रमाण पत्र।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

2. **नियुक्ति का तरीका** – सभी पदों पर चयन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप की जायेगी।

2.1 **नियुक्ति का प्राधिकारी** – योजनांतर्गत समस्त संविदा पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगा :–

पद का नाम	नियुक्ति का प्राधिकार
परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत WDT के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC

2.2 **चयन समिति का गठन** :– उपरोक्त पदों में चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जावेगा –

स्तर	अध्यक्ष	मनोनित सदस्य
परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत WDT के समस्त पद	कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC	अध्यक्ष, द्वारा मनोनित तीन सदस्य (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित)

3. एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु राज्य/जिला स्तर पर राज्य के समाचार पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
5. तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरूद्ध तीन गुना अभ्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
6. मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत योग्य अभ्यार्थी का नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
7. **वेतन** :–
   7.1 उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
   7.2 मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो SLNA द्वारा समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
8. **आरक्षण**
   8.1 एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य/संभाग/जिला/जनपद/ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
   8.2 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यार्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यार्थी से पद भरे जा सकेंगे।
9. **आयु सीमा**– शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु–सीमा एवं छूट लागू होगी।
10. **नियुक्ति की अवधि** – संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
11. **अवकाश की पात्रता** – संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
12. **यात्रा भत्ता** – संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
13. **प्रसूति अवकाश**– शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
14. **अन्य शर्ते** :– राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार शर्ते मान्य होंगें।
    14.1 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

14.2 नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

14.3 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

वाटरशेड विकास दल सदस्य (डब्ल्यू.डी.टी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व–

वाटरशेड विकास दल (WDT) के सदस्यों को जिला तथा राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के दल के साथ घनिष्ट सहयोग से कार्य करना होगा। वाटरशेड विकास दल को जहॉ तक संभव हो वाटरशेड परियोजना के निकट ही अवस्थित किया जाना चाहिए। परियोजना में कार्य करते हुए WDT सदस्यों को निम्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा :–

1. परियोजना के प्रत्येक माईक्रो वाटरशेड में वाटरशेड समिति के गठन की प्रक्रिया को अग्रेषित करना और उनकी विकासगत गतिविधियों के नियोजन में सहायता करना।
2. माईक्रो वाटरशेड क्षेत्रों में उपयोग कर्त्ता समूहों तथा स्व–सहायता समूहों का गठन करना तथा इन्हें पोषित करना।
3. वाटरशेड कार्य योजना में महिलाओं के हितों एवं संभावनाओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने एवं क्षमतावान बनाने के उद्देश्य से महिलाओं को संगठित करना।
4. सहभागी ग्रामीण समीक्षा (PRA) के आधार पर परियोजना क्षेत्र का आधारभूत सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण देना तथा क्षमता निर्माण करना।
5. परियोजना क्षेत्र में परिवार स्तर पर सतत् जीविका साधनों को बढ़ावा देने के लिए जल तथा भूमि संरक्षण कार्यों तथा भूमि को पुनः उपयोगी बनाने की गतिविधियों को शामिल करते हुए विस्तृत संसाधन विकास योजनाएं तैयार करना।
6. सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधन (CPR) प्रबंधन तथा समान भागीदारी सुनिश्चित करना।
7. ग्राम सभा के विचारार्थ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना।
8. परियोजना की आवश्यकतानुसार GIS आधार पर कार्य करने की क्षमता विकसित करना।
9. निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण करना, इंजीनियरी अभिकल्प तथा लागत अनुमान तैयार करना।
10. किए गए कार्य की निगरानी, जांच, आंकलन, वास्तविक सत्यापन और मापन का कार्य करना।
11. भूमिहीनों के लिए आजीविका अवसरों के विकास में सहायता करना।
12. परियोजना लेखों का रख–रखाव करना।
13. आरंभ किए गए कार्य की वास्तविक, वित्तीय तथा सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना।
14. परियोजनोपरांत प्रचालन, अनुरक्षण तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पत्तियों को भविष्य में सतत् उपयोगी बनाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करना।

जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य हेतु नियमावली –

1. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु जिले स्तर पर गठित WCDC एवं राज्य स्तर पर गठित SLNA के द्वारा जारी नियमों का पालन किया जायेगा।
2. WDT को PIA/ WCDC/SLNA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
3. WDT की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं WDT सदस्य द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
4. WDT की नियुक्ति के दौरान WDT सदस्य को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपात अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।
5. WDT की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।

21/2

6. WDT सदस्य माह में अधिकतम 20 दिवस तक PIA के द्वारा निर्देशित परियोजना क्षेत्रों के दौरे में रहेंगें। WDT द्वारा उनके सप्ताह के भ्रमण के दौरान की गई कार्यो का विवरण (Tour Diary) PIA को सौंपेंगें तदनुसार PIA द्वारा नियमानुसार (छ.ग. शासन के यात्रा भत्ता के समकक्ष) उनके यात्रा देयक पर भुगतान परियोजना के प्रशासनिक मद से किया जावेगा।
7. WDT के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA द्वारा किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) WDT को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
8. WDT की नियुक्ति PIA एवं WDT के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा की किसी भी स्थिति में WDT द्वारा WDT का पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण/रिकार्ड/दस्तावेज संबंधित PIA को सौंप कर जावेगा।
9. WDT पद छोड़ने के एक माह पूर्व तत्संबंधी सूचना PIA को देगा, अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खातें में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।
10. WDT द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।
11. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।

सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर हेतु नियमावली –

1. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर को PIA/WCDC/ SLNA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
2. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
3. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपात अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।
4. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।
5. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
6. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर की नियुक्ति PIA एवं सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा की किसी भी स्थिति में सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर द्वारा पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण/रिकार्ड/दस्तावेज संबंधित PIA को सौंप कर जावेगा।
7. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर के पद छोड़ने के पूर्व एक माह पूर्व सूचना PIA को देगा। अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खातें में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।
8. सहायक लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।
9. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।

------00------

21/2